तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. जो इस हुक्म में जारी हुए
21/1/20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र 128 LRA पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 128 LRA का स्वीकार किया जाता है। मौजा पारसोली की आराजी नं० 1548/887 रकबा 0.28 हे० भूमि की पत्थरगढ़ी प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूं को 500/- रु. कमीशन शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जावेगा। उपरोक्त [illegible] आदेश प्रति तहसीलदार, बेगूं को भेजी जाकर पालना चाही जावे। पत्रावली पोस्ट सूचना की जावक [illegible] से पेश हो। [signature] 21/1/2020 उपखण्ड अधिकारी बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :: 102 / 2019

भंवरलाल पिता रामचन्द्र गुर्जर निवासी पारसोली तह. बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र लक्ष्मण जी धाबाई निवासी पारसोली तह. बेगूँ
2. पप्पू कुमार पुत्र शान्तिलाल पाण्ड्या निवासी पारसोली तह. बेगूँ
3. कालू पुत्र नन्दा गुजर निवासी पारसोली तह. बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :: श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक:: 21.01.2020

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.बिल्लू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम पारसोली में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	लगान
1548 / 887	0.28	0.52

यह कि प्रार्थी का विपक्षीगण से सीमा विवाद बना रहता है इसलिए प्रार्थी ने विपक्षीगण को तहसील में चलकर सीमा जानकारी करा स्थाई सीमांकन कराने को दिनांक 10.06.2019 को कहा तो उन्होने स्थाई सीमांकन कराने से इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुइ है। कृषि भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार फरमाकर कलम नं. 1 में वर्णित कृषि भूमि का स्थाई सीमांकन (पत्थरगढी) किए जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण प्रकरण में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिन्होने प्रार्थना पत्र अनुसार आराजी की पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा पारसोली सं. 2072 से 75 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थी भंवरलाल आराजी संख्या 1548 / 887 रकबा 0.28 हैक्टर भूमि के खातेदार दर्ज है, जिन्हें अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा पारसोली की आराजी संख्या 1548 / 887 रकबा 0.28 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिती में किए जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 500 /—रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को पत्थरगढी की पालना हेतु दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी की पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट पेश करें।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

21.1.2020
(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ, जिला-चित्तौडगढ

सरिस्ता / क्रमांक / 13 दि॰ 28-1-2020

आदेश प्रति तहसीलदार, बेगूँ को पत्थरगढी करा पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ, जिला-चित्तौडगढ

-----लगातार

Scanned by CamScanner